

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम, मंझौल, बेगूसराय

चेरियाबरियारपुर थाना कांड संख्या –224/2021

जी० आर० नं० – 309/2021

राज्य बनाम् अंजनी कुमार

01.02.2022 : संज्ञान के बिन्दु पर सुना। अनुसंधानकर्त्ता चेरियाबरियापुर द्वारा आरोप पत्र संख्या – 07/2022 दिनांक 26.01.2022 वाद दैनिकी के साथ प्राथमिकी अभियुक्त चालक अंजनी कुमार के विरुद्ध धारा – 279, 337, 338, 304ए भा० दं० वि० के तहत आरोप पत्र समर्पित किया गया है।

अभिलेख एवं वाद दैनिकी की कंडिका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 33, 42, 47 के अवलोकन से यह विदित होता है कि आरोप पत्र के कॉलम –11 में नामित प्राथमिकी अभियुक्त चालक अंजनी कुमार के विरुद्ध धारा – 279, 337, 338, 304ए भा० दं० वि० के तहत अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है एवं उक्त धाराओं में प्रथम दृष्ट्या अभियोग का मामला बनता प्रतीत होता है।

अतः आरोप पत्र के कॉलम-11 में नामित प्राथमिकी अभियुक्त चालक अंजनी कुमार के विरुद्ध धारा – 279, 337, 338, 304ए भा० दं० वि० के अंतर्गत मामले का संज्ञान लेते हुए अभिलेख को निजी संचिका में रखा जाता है।

कार्यालय अभियुक्तण के विरुद्ध दिनांकसमन निर्गत करें।

लेखापित

अ० मु० न्या० दंडाधिकारी प्रथम

मंझौल, बेगूसराय